न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 308/2026

नंदु महतो बनाम बिहार सरकार

मानपुर थाना कांड सं0 191/2025
अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 352, 109, 303(2), 3(5) B.N.S

01.04.2026

दिनांक 28.02.2026 से कारावासित अभियुक्त **01. नंदु महतो** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कमेश कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा इन्हें इस वाद में झूठे व गलत आधार पर फंसा दिया गया है । आवेदक द्वारा पूर्व में इस न्यायालय या किसी वरीय न्यायालय में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। बी0एन0एस0 की धारा 109, एवं 303(2) का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता नहीं प्रतीत होता है तथा अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरूद्ध मारपीट या किसी तरह का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व से एक वाद लंबित है। आवेदक दिनांक 28.02.2026 से न्यायिक हिरासत में है। अतः आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते है।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक का भांजा आर्यान राज उनके यहां रहकर पढ़ाई करता है। जिसका नामांकन हरगांवा 10+2 स्कूल में है। दिनांक 28.11.2025को लगभाग 12:00 बजे दिन में जब वह अपना प्रैक्टिल परीक्षा देने हरगांवा विद्यालय गया था। परीक्षा देकर निकालने के दौरान नंदु महतो, टुन्नी महतो, मसूदन महतो, शत्रुध्न मतो एवं अन्य अज्ञात लोग जो हरगांवा गांव के निवासी है। ये सभी मिलकर स्कूल के परिसर में घुस गए तथा सूचक के भांजे को जान से मारने के नियत से सर के उपर लोहे के रॉड से प्रहार किया जिसे उसने हाथ से रोकना चाहा तब दोनों हाथों की कलाई में गंभीर चोट आया। जिससे वह गिर गया फिर उसके बाद ताबड़तोड़ प्रहार किया जिससे उसके दोनों पैर के टेहुना के नीचे फट गया। उसी समय मोहित कुमार अपने किसी निजी कार्य से जा रहे थे। तब देखा कि आर्यन राज को सभी मार रहे है। जब वह बचाने की नियत से वहां पहुंचे तो उनके उपर भी लोहे के रॉड से प्रहार किया गयां जिससे मोहित कुमार का सर फट गया। स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिका किसी तरह इन दोनों को स्कूल में बंदकर जान बचाया तथा तुरंत प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन के आने के बाद उनलोगों को सुरक्षित निकाला गया तथा ग्रामीणों द्वारा उनदोनों को पावापुरी मेडिकल में भर्ती कराया गया। मारपीट के

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा</u>।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 308/2026

नंदु महतो बनाम बिहार सरकार

मानपुर थाना कांड सं0 191/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 352, 109, 303(2), 3(5) B.N.S

<u>लगातार</u>

01.04.2026

दौरान आर्यन राज का सोने का लॉकेट और उसका मोबाईल एवं मोहित कुमार का भी मोबाईल छीन लिया गया।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया ।अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध आर्यन राज एवं मोहित कुमार के साथ मारपीट करने का सामान्य आरोप है। इनके विरूद्ध आरोप सर्वसमावेशी है तथा इनकी किसी विशिष्ट भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है। कांड दैनिकी में उपलब्ध जख्म–प्रतिवेदन के अनुसार चिकित्सक द्वारा जखमियों का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। आवेदक दिनांक 28.02.2026(करीब 01 माह) से न्यायिक अभिरक्षा में हैं ।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व जख्म की प्रकृति तथा विशेष रूप से आवेदक के कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक **01. नंदु महतो** को 10,000/–रू0 या उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभू के साथ बंध पत्र दाखिल करने के उपरांत संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है, कि वे अंडरटेकिंग इस आशय का दाखिल करेंगे कि साक्षीगण को डरायेंगे या धमकायेंगे नहीं एवं अनुसंधान कार्य एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 308/2026

नंदु महतो बनाम बिहार सरकार

मानपुर थाना कांड सं0 191/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 352, 109, 303(2), 3(5) B.N.S